VISION IAS
04 AUG 2023
RECEIVED

# VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS No. 3
10-1 PM 04 AUG 2023
RECEIVED

## GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2419)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name of Candidate | VIPIN DUBEY | | |
| Medium Eng./Hindi | HINDI | Registration Number | 584126 |
| Center | DELHI (M NAGAR) | Date | 04/08/2023 |

### INDEX TABLE

| Q. No. | Maximum Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 15 | |

**Total Marks Obtained:**

**Remarks:**

### INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

# EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

**Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:**

**1.**

**2.**

**3.**

**4.**

**5.**

**6.**

**All the Best**

1. मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Discuss the role played by the Directorate of Enforcement in the investigation of offence of money laundering and violations of foreign exchange laws. (Answer in 150 words) 10

मनी लॉन्ड्रिंग से आशय अवैध एवं भ्रष्टाचारी गतिविधियों से अर्जित धन को वैध बनाने की प्रक्रिया है। इसकी जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय एवं वित्तीय आसूचना इकाई हैं।

**प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका**

① **जाँच करना** – यह अवैध सम्पत्तियों की जाँच करता है।
→ FERA और FEMA के तहत विदेशी मुद्रा कानूनों की जाँच।

② **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**
•) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग पर सहयोग।
•) आसूचना तंत्र को मजबूत करना।

③ **कार्यवाई करना**
•) अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों को जब्त करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

•) संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करना।

④ **नेटवर्क की जाँच** संगठित अपराध एवं आतंकवादी वित्त पोषण के मध्य सहयोग को रोकना।

**चुनौतियाँ**

① **प्रभावी रोक नहीं** - विजय माल्या, नीरव मोदी मेहुल चोकसी आदि पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पायी है।

② **स्विस बैंक**

वर्तमान में भी भारतीयों के धन स्विस बैंक में जमा है
→ धन वापसी नहीं हुयी है
→ जमाखोरी भी जारी है।

③ **ED का राजनीतिकरण**

राजनीतिक हित के लिए ED का दुरुपयोग

आगे की राह
→ ED की जांचगत मजबूती
→ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ सूचना सहयोग में वृद्धि
→ पर्याप्त बजटीय आवंटन

अतः ED के प्रभावी स्वरूप से भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जा सकती है।

**2.** भारतीय संविधान भारत में उदार लोकतंत्र के विकास हेतु एक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। विश्लेषण कीजिए।

The Indian Constitution has been successful in providing a framework for liberal democracy to flourish in India. Analyse. (Answer in 150 words) 10

भारतीय संविधान ने संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया है जिसमें लोकतंत्र की मूल भावना जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन निहित है।

भारतीय संविधान यह ढांचा प्रदान करने में सफल भी रहा है। जैसे

① 73वें एवं 74वाँ संविधान संशोधन

·) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं आधारभूत स्तर पर लोकतंत्र की संकल्पना सफल हुयी है

·) राजनीतिक एवं प्रशासनिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुआ है।

② शक्ति पृथक्करण

·) विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का बँटवारा है

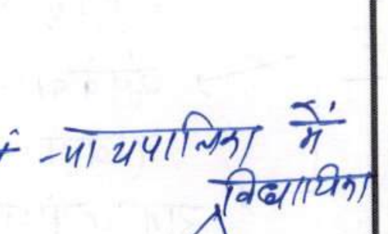


·) कार्यात्मक विशेषज्ञता स्थापित हुयी है।

③ शक्तियों का विभाजन

·) केन्द्र व राज्यों के बीच (अनुसूची -7)

·) राज्य व पंचायतों के बीच (अनुसूची -11वां)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) निर्वाचन की प्रक्रिया

- संसद के सदस्यों के निर्वाचन में जनता की भागीदारी।
- निरंकुशता पर रोक

(5) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संवैधानिक आयोग

- CAG के द्वारा लोक वित्त का संरक्षण अनुच्छेद (148)
- UPSC के द्वारा अखिल भारतीय सेवकों का चयन।
- वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संघवाद की मजबूती।

(6) लिखित एवं सर्वोच्च संविधान

↳ संविधान की संप्रभुता है।

आगे की राह
- → सरकारिया एवं पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू करना
- → संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना
- → राम जवाया कपूर वाद के अनुरूप शक्ति पृथक्करण का पालन

अतः संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप उदार लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए आवश्यक बनाया जा सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. "समनुषंगिता के सिद्धांत" से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना कीजिए।
What do you understand by the "principle of subsidiarity"? Discuss its importance in the context of India. (Answer in 150 words) 10

समनुषंगिता के सिद्धांत से आशय समान व्यवहार करने से है।

भारत में महत्व

(1) भारत की विविधता को संरक्षित करना।
(2) जटिलता को कम करना।
(3) नैतिक मूल्यों का पालन करना।
(4) DPSP के सिद्धांतों के अनुरूप
(5) नागरिक केन्द्रित शासन, नागरिकों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना
(6) लोकतंत्र को मजबूत करना
(7) विकेन्द्रीकरण की भावना को मजबूत
(8) संविधान के कर्तव्यों का पालन

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः निमडुपगिक्ता का सिद्धांत निर्वजन द्वितीय निर्वजन उपाय पर आधारित है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**4.** "मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों का दमन करना नहीं होगा, बल्कि लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति उसी रूप में जागरूक बनाकर एक लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करना है, जिस प्रकार से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं।" चर्चा कीजिए।

"The moral value of fundamental duties would not be to smother rights but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights". Discuss. (Answer in 150 words) 10

42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51 A में स्थान मिला जिससे नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों से भी अवगत रहें।

मूल कर्तव्यों का योगदान → लोकतांत्रिक संतुलन में

*) अनुच्छेद 51A (e)
→ नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा, भाषायी एवं धार्मिक बहुलता की रक्षा एवं स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग
→ यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29, 15 से भी संबंधित है।

*) अनुच्छेद 51A (f)
→ इसका उद्देश्य गौरवशाली सामासिक संस्कृति परंपरा का संरक्षण है
→ मूल अधिकार के अनुच्छेद 29, 30 एवं 27 भी इसी की बात करता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4) अनुच्छेद 51 A (h)
↳ हिंसा से दूर रहना

मौलिक कर्तव्य ⇔ मौलिक अधिकार

•) ये परस्पर पूरक हैं।
•) जो हमारे कर्तव्य हैं वे अन्य के अधिकार हैं
↳ मेट्रो में महिलाओं एवं वृद्धों के लिए सीटों का आरक्षण।
•) ऐसे में मौलिक कर्तव्यों के लिए जागरूकता अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देगा।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य एवं अधिकारों के संयोजन से ही वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं सम्मान सुनिश्चित हो सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. क्या आपको लगता है कि कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित विधान का प्रयोग शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है? भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Do you think the exercise of delegated legislation by the executive goes against the principle of separation of powers? Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

प्रत्यायोजित विधान से आशय संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया कार्यपालिका को सौंपने से है।

शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध

* अध्यादेश
  - अनुच्छेद 123 एवं 213 के तहत अल्पकालिक विधायी कानून कार्यपालिका द्वारा निर्मित
    - कूपर बनाम भारत संघ (1970) - न्यायालय ने कहा कि इसकी जांच हो सकती है कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी या नहीं
    - D.C. वाधवा बनाम बिहार (1987) → अध्यादेश विधायिका का विकल्प नहीं हो सकता है

* जनाकांक्षा के विपरीत
  - जनता ने विधायिका का चुनाव नीति निर्माण एवं विधि निर्माण के लिए किया है।

*) विशेषज्ञता

- विधायिका के पास विशेषज्ञता होती है
- विधि निर्माण से पूर्व विभिन्न शेयरहोल्डर से संवाद।
- संसद / विधानमण्डल द्वारा व्यापक चर्चा के बाद विधि निर्माण।

प्रत्यायोजित विधान की प्रासंगिकता

① विधायिका पर अत्यधिक दबाव
- सदन का सत्र न चलना
- सदन की उत्पादकता में कमी आयी है

② पूरक कानून का निर्माण
- संसद का अधिकार है कि वह कार्यपालिका को पूरक कानून निर्माण अधिकार दे सकती है

निष्कर्षतः प्रत्यायोजित विधान के द्वारा विधि निर्माण में तीव्रता आती है। ऐसे में कार्यपालिका को यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे विधान संविधान एवं जन हित के अनुकूल हों।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. दोषपूर्ण गवर्नेंस के पीछे प्रमुख कारण एक ढर्रे में सोचने की आदत और एकाकी कार्य प्रणाली है। भारत में लोक सेवाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए।
A key factor behind poor governance is a system of thinking and working in silos. Discuss in the context of public services in India. (Answer in 150 words) 10

1950-1991 के मध्य भारत में विकास की धीमी गति का एक मुख्य कारण लोक सेवकों में नवाचार का अभाव था जिससे वे विधि को स्थापित करना परम उद्देश्य मानने लगे और भावनात्मक शून्यता स्थापित हुयी

दोषपूर्ण गवर्नेंस के पीछे इसकी प्रासंगिकता

① सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के संदर्भ में
- लोकसेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वविवेकाधिकार का प्रयोग न्याय स्थापना के लिए करें।
- इससे स्वविवेकाधिकार → निरंकुशता → भ्रष्टाचार → लालफीताशाही को बढ़ावा।

② नवाचार का अभाव
- क्रिटिकल थिंकिंग में कमी → नई समस्याओं का समाधान न कर पाना।
- परंपरागत ढांचा के साथ कार्य करना
  - ↳ IT को प्रोत्साहन नहीं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) लोकनिधि का दुरुपयोग

- मालिक की भूमिका में काम करना, स्वयं को सेवक न समझना।
- स्वहित को जनहित पर महत्व

(4) RTI का उपयोग न करना

- अस्वीकृति की दर 8.3% है।
- इसका कारण यह है कि लोकसेवक जनता को सूचना प्रकट नहीं करना चाहते हैं।

(5) ई-गवर्नेंस के लिए नकारात्मक भावना

- पारदर्शिता में वृद्धि होने से अधिकारों में कमी।

आगे की राह
→ नवाचार को बढ़ावा
→ 'मिशन कर्मयोगी' का प्रभावी क्रियान्वयन
→ 'युगांधर एवं होता समिति के निर्णय को लागू करना
→ ध्यान सारंग प्रशिक्षण

अतः लोकसेवकों की नवाचारशीलता ही लोकतंत्र को जीवंत बना सकती है जैसे स्मिता नवरवाल (RAS) की पहल 'Fund Your City' एवं देवांश यादव (RAS) की 'crowd funding'

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. असुरक्षित गर्भपात भारत में महिलाओं के प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान कीजिए और उपचारात्मक उपाय भी बताइए।
Unsafe abortions are a critical issue affecting the reproductive and maternal health of women in India. Identify the reasons behind the same and suggest remedial measures as well. (Answer in 150 words) 10

भारत में असुरक्षित गर्भपात से प्रत्येक दिन 8 महिला की मृत्यु हो जाती है। इनमें से अधिकांश 15-19 ~~वर्ष~~ की लड़कियां होती हैं।

उत्तरदायी कारण

① लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य
- जागरूकता का अभाव।
- सेफ सेक्स प्रैक्टिस का अभाव।
- यौन शिक्षा का अभाव।

② ASHA एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निष्क्रियता
- प्रारंभिक सहायता न मिल पाना।
- इनके प्रशिक्षण का अभाव

③ विशेषज्ञता
- गर्भपात करने वाले डाक्टर एवं नर्स के पास विशेषज्ञता का अभाव।

④ अनौपचारिकता
- अनौपचारिक क्लिनिक पर गर्भपात करवाना।

उपचारात्मक उपाय

(1) ASHA की भूमिका

→ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए एवं प्राथमिक स्तर पर इनकी भूमिका सशक्त होनी चाहिए।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य की बेहतर दशा

→ एनीमिया, खाद्य असुरक्षा आदि से मुक्ति।

(3) आयुष्मान भारत — इसका लाभ व इसकी जानकारी सभी तक हो
↳ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान हो

(4) सरकारी प्रयास — मातृत्व लाभ अधिनियम
पोषण अभियान
मातृ वंदना योजना
↓
इनका लाभ मिले।

संविधान के अनुच्छेद 42 एवं सतत विकास लक्ष्य-5 को सुनिश्चित करने हेतु मातृ स्वास्थ्य आवश्यक है। देविका बिस्वास बनाम भारत संघ में प्रजनन के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**8.** डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और उसकी वहनीयता से संबंधित स्थायी मुद्दों का समाधान करने में सक्षम है। इस संदर्भ में, देश को 'डिजिटल स्वास्थ्य' क्रांति के मुहाने पर लाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
Digital healthcare has the potential to address the perennial issues pertaining to accessibility and affordability of healthcare in India. In this context, discuss the role of Ayushman Bharat Digital Mission in putting the country at the cusp of a 'digital health' revolution. (Answer in 150 words) 10

डिजिटल स्वास्थ्य के द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जा सकती है। राज्य का यह दायित्व है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो (अनुच्छेद 39(e), 41 एवं 47 में)

[डिजिटल स्वास्थ्य] - कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा
→ सभी को स्वास्थ्य सुविधा
↓
बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) → स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है
- भौगोलिक विभाजन में कमी
  - ग्रामीण एवं शहरी में (80% डॉक्टर शहरी क्षेत्र में हैं)

[आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन]

① अवसंरचनात्मक सुधार - अस्पतालों की स्थिति में सुधार

(2) भौगोलिक असमानता में कमी
पुडुच्चेरी में 1 लाख में 222 बिस्तर जबकि बिहार में मात्र 7 बिस्तर हैं।

(3) मानव संसाधन कमी में सुधार
डॉक्टर - 0.74/1000, केरल में - 7.7/1000
नर्स - 1.94/1000, WHO - 1/400

(4) OOPE में कमी
वर्तमान में OOPE - 67%.
इसके कारण 55 मिलियन लोग गरीब हुए हैं (आर्थिक सर्वेक्षण)

(5) सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 1 रु का व्यय 10 गुना प्रतिफल देता है।

समस्याएं
- डिजिटल विभाजन - इंटरनेट
- डिजिटल जागरूकता — ग्रामीण - 31%, शहर - 77%
- डिजिटल IT उपकरणों की कमी

आगे की राह
- संविधान के कर्तव्यों के पालन हेतु स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना
- सतत विकास लक्ष्य - 3 का अनुपालन
- जनसांख्यिकी लाभांश एवं मानवीय पूंजी के विकास हेतु सार्वभौमिक स्वास्थ्य अत्यावश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. दक्षिण एशिया से एकमात्र G20 सदस्य के रूप में, भारत के लिए G20 का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया की आवाज को बुलंद करने के लिए एक प्रभावी मंच के तौर पर इस समूह का उपयोग करने हेतु एक आदर्श अवसर है। टिप्पणी कीजिए।
As the only G20 member from South Asia, the G20 leadership is an ideal opportunity for India to use it as an effective platform to amplify South Asia's voice at the global stage. Comment. (Answer in 150 words) 10

G20 की वर्तमान अध्यक्षता भारत के पास है। ऐसे में भारत दक्षिण एशिया के हितों को बढ़ावा देकर इस मंच की समावेशिता बढ़ा सकता है।

भारत के द्वारा इस मंच के उपयोग हेतु किया कदम उठाने चाहिए

1. हिंद प्रशांत क्षेत्र - खुला, मुक्त, नियम आधारित एवं समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए।
2. दक्षिण एशिया - यहाँ अवसंरचनात्मक विकास एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अंतरक्षेत्रीय सहयोग।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु

(4) **पर्यावरणीय समस्या** जलवायु परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र सर्वाधिक सुभेद्य है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

(5) शान्ति सुनिश्चित करना - अफगानिस्तान, म्यांमार में अशान्ति का समाधान करना।

(6) **आर्थिक सुदृढ़ता** - नेपाल, श्रीलंका बांग्लादेश आर्थिक तंगी से रहे हैं विश्व समुदाय से मदद की अपील करनी चाहिए।

भारत के पास पड़ोस प्रथम नीति को चरितार्थ करने का अच्छा अवसर है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**10.** भारत-यू.ए.ई. CEPA दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा भारत को इस क्षेत्र में व्यापक पहुंच प्रदान करेगा। चर्चा कीजिए।
The India-UAE CEPA will serve as a catalyst to bolster economic ties between the two countries and give India greater access to the region. Discuss. (Answer in 150 words) 10

विगत कुछ वर्षों में भारत-UAE के संबंधों में व्यापक सुधार हुआ है। CEPA हो या I2U2 का विकास: इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

आर्थिक संबंधों की मजबूती- (CEPA द्वारा)

a) आर्थिक संबंधों ने दोनों देशों में व्यापार में तीव्र वृद्धि होगी।

a) राष्ट्रों के द्वारा अवसंरचनात्मक विकास में सहयोग होगा।

•) ये राष्ट्र मिलकर अन्य राष्ट्रों में भी निवेश करेंगे।

•) भारत को ऊर्जा की पर्याप्त प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

•) रुपे कार्ड का UAE में लागू होना सरल हो गया है

•) केन्द्रीय बैंको में भी सहयोग बढ़ेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

व्यापक पहुंच

1. भारत की UAE के ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच।
2. Brand India - के तहत भारतीय संस्थानों का UAE में कैंपस खुलना
   - IIT Delhi का
3. UAE के माध्यम से अन्य अरब देशों के साथ संबंध में प्रगाढ़ता
4. भारत होर्मुज जलडमरूमध्य में पहुंच प्राप्त करना
5. रक्षा क्षेत्र में सहयोग

अतः CEPA दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर साबित होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

**11.** एक दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली, सुविचारित कानून की अनुपस्थिति और डोमेन विशेषज्ञता की कमी को भारतीय न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियों के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा कीजिए।
A dysfunctional criminal justice system, absence of well-considered legislation and need for domain expertise, are being seen as the new challenges for the Indian judiciary. Discuss. (Answer in 250 words) 15

भारतीय न्यायालयों में 'अंडर ट्रायल' कैदियों की संख्या 77% हो चुकी है एवं 'दोषसिद्धि दर' 47% है। इसका मुख्य कारण उपर्युक्त चुनौतियाँ हैं - सुविचारित कानून की अनुपस्थिति, डोमेन विशेषज्ञता की कमी, दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली।

भारतीय न्यायपालिका के लिए चुनौतियाँ

(1) दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली

(a) न्याय की जाँच न हो पाना
↳ दोषसिद्धि दर - 47% (विधि आयोग)

(b) जाँच करने वाली व कानून लागू करने वाली संस्था एक ही है

(c) जाँच करने में पुरानी व्यवस्था का लागू रहना - IPC 1860
CrPC - 1973

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4) जाँच प्रक्रिया में शामिल लोगों का प्रशिक्षण नहीं।

**प्रविचाधित कानून की अनुपस्थिति**

4) POCSO Act – 16-18 वर्ष में लैंगिक संबंध बनाना अपराध
↳ 46.6% मामले इसी उम्र के हैं।

4) स्वविवेकाधिकार – अनेक मामलों में जैसे - राजद्रोह कानून (IPC 124A)

4) परिभाषा का अभाव – न्यायालय की अवमानना परिभाषित नहीं है

4) कानूनों का अभाव – हेट स्पीच के लिए, हिरासत में हिंसा के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए

**डोमेन विशेषज्ञता का अभाव**

(1) अधिकरणों के मामले में
↳ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति, जिन्हें विशेषज्ञता नहीं है

(2) तकनीक की जानकारी का अभाव।

(3) नार्को टेस्ट, DNA विश्लेषण आदि का जाँच न होना।

(4) तन्मयता – पुलिस, डॉक्टर एवं न्यायालय में

सुझाव

→ D.K. बसु वाद में न्यायालय ने हिरासत में हिंसा को राज्य का पोषक योगदान बताया
↳ अतः इसे कानून बनाना चाहिए

→ कानूनों का नवीनीकरण
↳ आपराधिक पहचान प्रक्रिया – 2022

→ मॉडल जेल अधिनियम – 2022 को लागू करना

→ मुल्ला समिति की सिफारिशों को लागू करना

अतः नवीनीकरण ही प्रासंगिक कानून का आधार है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**12.** दल-बदल विरोधी कानून भारत में राजनीतिक अस्थिरता के मुद्दे को किस हद तक हल करने में सक्षम रहा है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

To what extent has the anti-defection law been able to address the issue of political instability in India? Discuss with suitable arguments. (Answer in 250 words) 15

52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा राजनीतिक अस्थिरता एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संविधान में अनुसूची-10 जोड़ा गया था जिससे 'आया राम-गया राम' की समस्या सुलझायी जा सके।

दल बदल कानून की प्रासंगिकता

① राजनीतिक दल के सदस्य को व्हिप के अनुरूप कार्य करना होता है।

② दल की सदस्यता से त्यागपत्र देने पर सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाती है।

③ दल-बदल कानून के संदर्भ न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है
└ किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू वाद

④ जनाकांक्षा को महत्व देना व राजनीति में खरीद-फरोख्त में कमी लाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**समस्याएँ**

(1) अध्यक्ष / सभापति द्वारा पक्षपात
- निर्णय इन्हीं के द्वारा लिया जाता है।
- मणिपुर विधानसभा में 3 वर्ष तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(2) स्वेच्छापूर्वक त्याग की व्याख्या नहीं
- स्वेच्छापूर्वक सदस्यता त्यागना की व्याख्या न होने के कारण दुरुपयोग हो रहा है।

(3) अनुच्छेद 105 एवं 194 का उल्लंघन
- सदस्य जनप्रतिनिधि की बजाय दल प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं।

(4) अभी भी रोक नहीं - हाल ही में महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्यप्रदेश में ऐसी घटनाएं घटी हैं।

(5) समय सीमा का उल्लेख नहीं
- दल बदल पर निर्णय लेने के लिए निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है

(6) 91वें संविधान संशोधन- यदि 2/3 सदस्य दल बदलते हैं तो वह इस कानून में नहीं आएगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**सिफारिशें**

- उच्चतम न्यायालय ने अध्यक्ष/ सभापति के कार्य को स्वतंत्र प्राधिकरण से डिलीट करने की बात कही।
- 2nd ARC के अनुसार ऐसे मामलों पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल/ राष्ट्रपति लें।
- कीशम मेघचन्द्र सिंह बनाम अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा — निर्णय के लिए समय सीमा का उल्लेख
- किहोतो होलोहन वाद — इन निर्णयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

लोकतंत्र की जीवंतता बनाए रखने हेतु रुचिर सदन एवं सारगर्भित संवाद को बढ़ाया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. भारत में अंतर्राज्यीय नदियों का प्रबंधन परस्पर विरोधी संघवाद के कारण विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। चर्चा कीजिए। साथ ही, उन तंत्रों को रेखांकित कीजिए जिनका उपयोग भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है।
Governance of inter-state rivers in India suffers from various issues due to conflictual federalism. Discuss. Also, highlight the mechanisms, which can be utilised to resolve inter-state river water disputes in India. (Answer in 250 words) 15

संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के प्रबंधन का उल्लेख है जिससे अन्तर्राज्यीय जल विवाद की समस्या को संवाद के स्तर पर सुलझाया जा सके एवं संघवाद की प्रवृत्ति मजबूत हो सके।

निहित समस्याएँ

① जल राज्य सूची का विषय है जबकि अन्तर्राज्यीय जल संघ सूची का विषय है।

② राजनीतिक अवसरवाद
राजनीतिक दलों के द्वारा वोटबैंक की राजनीति के लिए समस्या-समाधान नहीं किया जाता है।

③ संवैधानिक तंत्र की विफलता
अनुच्छेद 262 एवं 263 के तहत स्थापित निकायों का प्रभावी न होना।

④ स्पष्ट विभाजन नहीं - अंतर्राज्यीय नदी के जलों का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) जल पर निर्भरता

- कृषि मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर है।
- जल शक्ति के द्वारा बिजली उत्पादन
- मत्स्य उत्पादन आदि।

उपलब्ध तंत्र

(1) अनुच्छेद 262 - इसके तहत

- नदी बोर्ड अधिनियम 1956 (2019 में संशोधित।
- बांध सुरक्षा अधिनियम -2019
- अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 2019 में संशोधित)

↓ इसके अनुसार

a) अधिकरण 1 वर्ष के अन्दर जल विवादों का समाधान करेंगे। (6 महीने की अतिरिक्त समय)
- फिर DRC के तहत समस्या समाधान होगा। (2 वर्ष एवं 1 वर्ष का अतिरिक्त समय)

(2) अनुच्छेद -263 - अन्तर्राज्यीय परिषद के द्वारा समस्या समाधान के लिए मंच प्रदान करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) क्षेत्रीय परिषदें, नीति आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद → संघवाद की मजबूती के लिए वार्ता मंच प्रदान करना।

सिफारिशें NCRWC के अनुसार अन्तर्राज्यीय जल विवाद के निपटान के लिए व्यापक एवं प्रभावी कानून की आवश्यकता है।

अतः समन्वय, सहयोग एवं अभिसरण के द्वारा प्रभावी एवं संस्थागत मॉडल के द्वारा अन्तर्राज्यीय जल विवाद का निपटान किया जाना चाहिए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

**14.** उत्तर-औपनिवेशिक दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय संविधान के उन मूलभूत पहलुओं का सविस्तार वर्णन कीजिए, जिनके संदर्भ में यह अपने समकालीन संविधानों से भिन्न था।

Elaborate on the fundamental aspects in which the Indian Constitution differed from its contemporaries despite being a post-colonial document. (Answer in 250 words) 15

भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से विहित है। यह स्रोत बाह्य एवं आंतरिक हैं।

- बाह्य स्रोत - USA, UK, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस आदि।
- आंतरिक स्रोत -
  - सांस्कृतिक इतिहास
  - सामाजिक इतिहास
  - धार्मिक इतिहास
  - स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित

उत्तर औपनिवेशिक दस्तावेज के रूप में

① संसदीय लोकतंत्र

यह व्यवस्था ब्रिटेन से प्रेरित था

② 1935 का भारत अधिनियम

संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 से लिए गए थे।

3) IPC की व्यवस्था 1860 वाली ही थी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) न्यायालीय तंत्र 1937 में स्थापित तंत्र के अनुरूप था।

समकालीन संविधानों से भिन्नता

(1) सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित

→) वसुधैव कुटुम्बकम – संविधान की प्रस्तावना - बंधुत्व का भाव

→) न्यवेदांत दर्शन- पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान (अनुच्छेद 48A, 51A(g))

→) सहिष्णुता - अकबर के दीन ए-इलाही एवं अशोक की धम्म नीति के अनुसार

→) बहुलतावादी संस्कृति – एकैमसद् विप्रा बहुधा वदन्ति (अनुच्छेद 29, 30)

(2) स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा प्रेरित

→) अनुच्छेद 23 एवं 24 के प्रावधान इससे ही प्रेरित थे।

→) सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान।

→) सकारात्मक पक्षपात की अवधारणा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ सामाजिक मूल्यों पर आधारित

नीति निदेशक तत्व को बाध्यकारी नहीं बनाया गया, उसमें सभी मूल्य दिए गए जिससे राज्य का नैतिक दायित्व सुनिश्चित है।

④ रचनात्मकता

·) लोकतंत्र के रूप में
↳ राजशाही व्यवस्था के स्थान पर गणतंत्र का चुनाव।

·) अनुच्छेद 32 एवं 226 का प्रावधान।

·) अनुसूची 5 एवं 6 के द्वारा जनजातीय परम्परा का सम्मान।

अतः संविधान सभा ने सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में भारतीय संविधान का निर्माण किया जिस कारण से भारतीय लोकतंत्र आज भी मजबूत एवं सुदृढ़ हो रहा है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

**15.** मुफ्त उपहार, विशेष रूप से चुनावों से पहले, समाज के लिए लाभकारी होने की बजाय अधिक हानिकारक हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में युक्तिसंगत तर्क दीजिए।

Freebies, especially ahead of elections, do more harm than good to the society. Do you agree? Give logical arguments in support of your answer. (Answer in 250 words) 15

मुफ्त उपहार से आशय राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के दौरान वादों के रूप में निशुल्क उपहारों की पेशकश है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक कल्याण एवं राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य में संतुलन बनाने का निर्देश दिया है

मुफ्त उपहार → हानिकारक

① आर्थिक मुद्दे - राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रभाव
→ तेलंगाना के द्वारा कुल राज्य कर का 35% एवं राजस्व कर का 63% मुफ्त उपहार पर व्यय।

② राजनीतिक मुद्दे — अनुच्छेद 14 के तहत राजनीतिक दलों में समानता की भावना कमजोर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

होती है

3) पर्यावरणीय स्थिरता — उर्वरक पर सब्सिडी के कारण मृदा एवं भूजल प्रदूषण।
→ जल के उपयोग पर छूट के कारण अत्यधिक जल दोहन को बढ़ावा।

(4) सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या
*) बेरोजगारी भत्ता मिलने से अकर्मण्यता को बढ़ावा मिलता है

(5) अवसंरचनात्मक मुद्दे — सड़क, रेलवे, बिजली आदि अवसंरचनात्मक विकास पर सरकार का कम ध्यान रहता है

लाभ

(1) DPSP में राज्य के नैतिक दायित्व दिए गए हैं।
└ मुफ्त उपहार उसी के अनुरूप

(2) निर्धनता एवं बेरोजगारी पर तात्कालिक रोक लगाती है
↳ कोविड-19 में मुफ्त राशन ने भुखमरी एवं निर्धनता से करोड़ों लोगों को बचाया है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) महिला सशक्तीकरण — महिलाओं के लिए स्कूटी, लैपटाप आदि उन्हें सशक्त करने के लिए आवश्यक है

4) वृद्धावस्था एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा

न्यायिक निर्णय

i) सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु (2013)
↳ न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए।

निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता 2016 की भाग VIII में इसका उल्लेख भी है।

निष्कर्ष: राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहार, राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य एवं अवसंरचनात्मक निर्माण में संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

16. भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस मिशन को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
The Smart Cities Mission, which was launched to change the urban landscape of India has produced mixed results. Discuss. Also, highlight the challenges faced in executing the Mission. (Answer in 250 words) 15

स्मार्ट सिटीज मिशन के द्वारा शहरों में आधुनिकीकरण, परिवहन, सेवाएँ एवं हरित पर्यावरण इत्यादि की संकल्पना की गयी है। हालांकि इसके मिश्रित परिणाम मिले हैं—

**सकारात्मक परिवर्तन**

① सभी के लिए आवास

आवास की संकल्पना सुदृढ़ हुयी है। फलतः बेघर लोगों की संख्या में कमी आयी है।

② **परिवहन**

CNG आधारित, ई-परिवहन एवं मेट्रो का तेजी से विकास।

③ **बिजली की सुविधा**

सभी शहरों में 24x7 बिजली उपलब्ध करवायी जा रही है।

(4) पेयजल – नल के द्वारा सभी को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल रही है।

(5) स्वच्छता – अपशिष्ट प्रबंधन की उत्तम दशा उपलब्ध है।

**चिंताएँ**

(1) मलीन बस्तियों की बढ़ती संख्या

भारत में मलिन बस्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुयी है।

(2) शहरी बाढ़ – हाल ही दिल्ली में वर्षा से शहर जलमग्न हो गया।

(3) शहरी ऊष्मा द्वीप – शहर के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है।

(4) पर्यावरण प्रदूषण – ध्वनि, वायु एवं जलप्रदूषण की तीव्रता बढ़ी है।

(5) परिवहन में जाम की समस्या – व्यक्तिगत वाहन

(6) मनोवैज्ञानिक समस्याएं – अवसाद, आत्महत्या, एकाकीपन में वृद्धि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मिशन को लागू करने में आने वाली चुनौतियां

① वित्तीय समस्या, स्मार्ट सिटीज के लिए
कम वित्त आवंटन
आवंटित वित्त का कुशल दोहन नहीं

② बढ़ती जनसंख्या
शहरों में बढ़ता प्रवाह।
उपयुक्त ढांचे का अभाव।

③ पर्यावरणीय चुनौतियाँ – वनों के ह्रास से पर्यावरणीय चुनौतियाँ बढ़ी है।

④ अपशिष्ट प्रबंधन – विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का कुशल प्रबंधन नहीं

⑤ मानव संसाधन की कमी – जाँच एवं शोध के लिए मानव संसाधन की कमी

सतत विकास लक्ष्य -11 के अनुरूप शहरों के विकास हेतु स्मार्ट गाँव, सभी के लिए आवास एवं जल-जीवन मिशन आदि को प्रभावी रूप से क्रियान्वीत किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**17.** यह तर्क दिया गया है कि भारत में उद्यमिता परिवेश के समक्ष विद्यमान विभिन्न बाधाओं के बावजूद, भारत के भविष्य को इसके उद्यमियों द्वारा आकार दिए जाने की संभावना है। टिप्पणी कीजिए।
It has been argued that despite several hurdles faced by the entrepreneurship ecosystem in India, the future of India is likely to be shaped by its entrepreneurs. Comment. (Answer in 250 words) 15

वर्तमान समय में भारत का जनसांख्यिकी लाभांश हमारे पक्ष में है। ऐसे में 3D (Demand, Demography, Democracy) के अनुकूल होने के कारण भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है।

उद्यमिता परिवेश के समक्ष बाधाएँ

① कुशल जनसंख्या – नीति आयोग के अनुसार प्रति वर्ष 30 लाख उत्तीर्ण स्नातक में से 3 लाख ही कुशल शिक्षा लेकर निकलते हैं।

② वित्तीय समस्या – भारत में उद्यम के लिए ऋण प्राप्त करना जटिल प्रक्रिया है।

③ अवसंरचनात्मक समस्या – सड़क, रेलवे, बिजली, जैसी सुविधाएँ सभी क्षेत्रों में समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ निजी क्षेत्र में आरक्षण
↳ हाल ही में झारखण्ड ने 75% आरक्षण प्रदान किया।

⑤ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
↳ कंपनी के लिए पंजीकरण करना, कठिन, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का होना

संभावनाएँ

① हाल ही में GDP वृद्धि दर 7% पहुंच गयी है
↳ माँग को बढ़ावा मिलेगा।

② जनसांख्यिकी लाभांश → भारत में औसत आयु 28 वर्ष है।
↳ 2045 तक हमारे पक्ष में रहने का अनुमान।

③ चीन का विकल्प - चीन से कोविड के दौरान अपना कारोबार खत्म करने वाली कंपनी भारत में निवेश कर रही हैं।

④ सरकारी प्रयास - कौशल के लिए
↳ कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय, STRIVE, IMPRESS आदि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार लगाव के साथ पढ़ना (उत्पादक)

(5) युवा महिला कार्यबल मैकिन्से के अनुसार महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने पर GDP में ~~प्रतिवर्ष~~ 1.4% की दर से वृद्धि होगी।

(6) सामाजिक संकेतकों पर ध्यान
↳ सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता पर विशेष फोकस

अतः सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की संकल्पना से भारत के उज्ज्वल भविष्य की कामना की जा रही है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**18.** हालांकि, 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' योजना ने लैंगिक भेदभाव पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन यह खराब कार्यान्वयन और निगरानी के कारण वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही है। चर्चा कीजिए।
Though the 'Beti Bachao, Beti Padhao' scheme has given much-need attention to gender discrimination, it has failed to yield desired results due to poor implementation and monitoring. Discuss. (Answer in 250 words) 15

भारतीय कार्यक्रमों की मुख्य समस्या 'खराब क्रियान्वयन' है जिसके कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुयी है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के परिणाम

सकारात्मक

* संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला है
  - 88% कुछ राज्यों में 95% है
  - भ्रूण हत्या में कमी आयी है
* नामांकन दर में वृद्धि
  - बच्चियों के नामांकन दर में स्कूलों में वृद्धि हुयी है।
* उच्च शिक्षा (STEM) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है —

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

STEM में भागीदारी → भारत - 40%
विश्व - 35%

4) स्कूलों में नामांकन के कारण एनीमिया में कमी, पोषण में सुधार
↳ मिड डे मिल योजना के तहत

* जागरूकता → बेटियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

चुनौतियां

(1) वित्त का दोहन नहीं - इसको आवंटित वित्त का 70% ही उपयोग में लाया जा रहा है।

(2) मानव संसाधन में कमी - उचित निगरानी एवं निरंतर देखभाल के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव है।

(3) दृढ़ इच्छाशक्ति - केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य समन्वय का अभाव
↳ राज्य सरकारों द्वारा अलग योजना चलायी जा रही है।

(4) जागरूकता → स्कूलिंग प्राप्त करना तो सुनिश्चित हुआ है किन्तु लर्निंग प्राप्त करना नहीं।

(5) ड्राप आउट रेट – प्राथमिक शिक्षा के बाद लड़कियों में ड्राप आउट रेट अत्यधिक है।

सुझाव →
- पारदर्शी तरीके से धन आवंटन
- NGO, सिविल सोसायटी के द्वारा निगरानी
- नियमित निगरानी के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में कमेटी का गठन
- आवंटित धन का कुशल दोहन

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करने हेतु लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

**19.** दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा खतरों के स्वरूप और उनकी बारंबारता में वृद्धि के मद्देनजर, इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के संबंध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

As security threats increase in form and frequency in the South-West Indian Ocean, discuss the role played by India in relation to small island developing states (SIDS) in the region. (Answer in 250 words) 15

दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा के प्रमुख खतरों में समुद्री डकैती, रूपवास जैसी समस्याएं हैं।

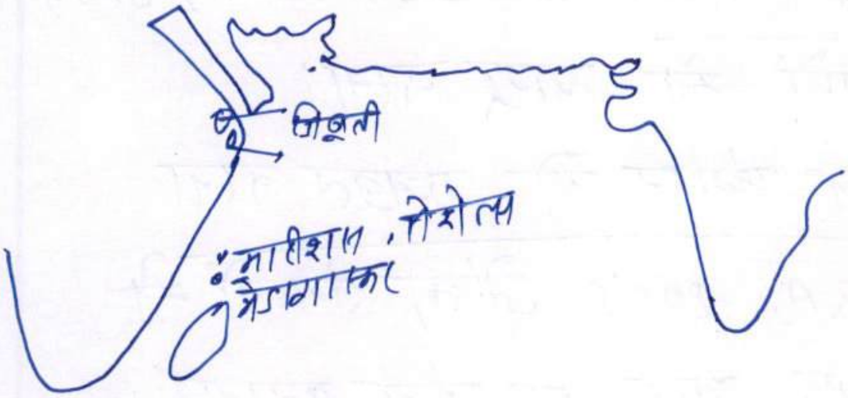


बारंबारता में वृद्धि के कारण

① गरीबी - इस क्षेत्र में व्यापक गरीबी है जिसके कारण

② भुखमरी - ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये अंतिम पायदान पर हैं।

③ वैश्विक तंत्र का प्रभावी न होना - यहाँ पर वैश्विक गवर्नेंस स्थापित नहीं है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग - समुद्री डकैती का मुख्य कारण यहाँ का महत्व है
↳ व्यापार के लिए देश यही मार्ग का चुनाव करते हैं।

[भारत की भूमिका]

① अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - LC कन्वेंशन जैसी संधियों को लागू करना।

② क्षेत्रीय संगठन को मजबूत करना
IORA, IONS जैसी संगठनों को सकारात्मक वार्ता का मंच बनाना।

③ [सहयोग] - भारत मॉरीशस, सेशेल्स जैसे देशों के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद कर रहा है

④ [अवसंरचनात्मक निर्माण] - इन देशों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए भारतीय दलों को भेजा जा रहा है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) AAGC का निर्माण - Asia Africa Growth Corridor
↳ भारत - जापान की सहायता से नेबरहुड की प्रतिबद्धता ~~क्रियान्वित~~

चुनौतियाँ → चीनी कारक
→ पर्यावरणीय समस्या एवं जलवायु परिवर्तन
→ क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ

अतः लघु द्वीपीय देशों के सहत भारत ने सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की है जिससे यहाँ का विकास एवं भारतीय हित सुनिश्चित हो सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**20.** चूंकि भारत अपने पड़ोस की पुनः कल्पना कर रहा है, इसलिए उप-क्षेत्रों के माध्यम से सीमा-पार कनेक्टिविटी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। विश्लेषण कीजिए।
As India re-imagines its neighbourhood, cross-border connectivity through sub-regions is becoming increasingly vital. Analyse. (Answer in 250 words) 15

विकास का वर्तमान आधार कनेक्टिविटी है जो क्षेत्र जितना अधिक कनेक्टेड हैं, उनके विकास की संभावना उतनी अधिक है। उदाहरण।

① EU के विकास की गति तीव्र है क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है।

② दक्षिण एशिया में गरीब, भुखमरी, कम व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य कारण यहाँ की कमजोर कनेक्टिविटी है।

भारत के लिए महत्व

① भारत-नेपाल संबंध में

↳ मोतीहारी - अमलेखगंज पाइपलाइन का निर्माण

→ रेलवे एवं सड़क के द्वारा जोड़ना

जिससे व्यापारिक एवं सामाजिक संबंध सुदृढ़ हो सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) ईरान का चाबहार - भारत मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए ही चाबहार बन्दरगाह का विकास किया।

(3) मध्य एशिया तक पहुंच हेतु
↳ TAPI, IPI परियोजना पर कार्य चल रहा है जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ सके।

(4) एक्ट ईस्ट पालिसी के तहत
↳ IMT परियोजना, गंगा-मीकांग सहयोग
↳ भारत का पूर्व एशिया से जुड़ाव

(5) ब्लू डॉट नेटवर्क का समर्थन
↳ हिंद प्रशांत में अवसंरचना निर्माण हेतु

(6) भारत-बंग्लादेश - रेलवे, सड़क एवं जलमार्गों का विकास
→ हल्दीबाड़ी-चिल्हाटी को रेल संपर्क से जोड़ना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियां — क्षेत्र में पाकिस्तान की विध्वंसकता
— चीन का BRI प्रोजेक्ट
— BBIN प्रोजेक्ट में भूटान की भूमिका आदि

नेबरहुड फर्स्ट पालिसी एवं गुजराल की डॉक्ट्रिन पॉलिसी से यह कूटनीति प्रगति मजबूत हो सकती है।